

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

शिविरा/प्रार/पीएसपी/बी/फीस का विनियमन/19673/2024

दिनांक:—यथा हस्ताक्षरित

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय),
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा
समस्त जिले

विषय:— राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 एवं नियम 2017 की पालना में गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा फीस निर्धारण कर प्राइवेट स्कूल पोर्टल (पीएसपी) पर एन्ट्री किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:— शासन का पत्र क्रमांक प.8(02)शिक्षा-5/2023 (Rajkaj-07273) जयपुर दिनांक 09.05.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 एवं नियम 2017 की पालना में गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु विद्यालय स्तर पर गठित विद्यालय स्तरीय फीस समिति द्वारा निर्धारित फीस की प्राइवेट स्कूल पोर्टल (पीएसपी) पर एन्ट्री किये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:—

01. राज्य में संचालित समस्त गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा विद्यालय स्तर पर गठित अभिभावक-शिक्षक समागम (पीटीए) गठन की संख्यात्मक सूचना की पोर्टल पर प्रविष्टि करना अनिवार्य है। विद्यालय में अध्ययनरत समस्त बालक-बालिकाओं के अभिभावक तथा समस्त अध्यापक इस समागम के सदस्य होंगे।
02. अभिभावक शिक्षक समागम की बैठक का आयोजन किये जाने से कम से कम पन्द्रह दिवस पूर्व प्रारूप-1 में सभी सदस्यों को नोटिस जारी किया जाये। (संलग्न प्रारूप-1)
03. राज्य में संचालित समस्त गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा विद्यालय स्तर पर गठित विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी (एसएलएफसी) के गठन हेतु अध्यक्ष, सचिव एवं तीन अध्यापक सदस्यों के नाम, पता व मोबाईल नम्बर, शैक्षिक योग्यता पीएसपी पोर्टल पर प्रविष्टि की जावें।
04. विद्यालय स्तर पर गठित अभिभावक-शिक्षक समागम (पीटीए) के अभिभावक सदस्यों द्वारा एसएलएफसी की सदस्यता हेतु इच्छुक अभिभावकों द्वारा पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जावे। बालक की एनआईसी आईडी एवं पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाईल

RajKaj Ref
8037511



नम्बर के माध्यम से अभिभावक पीएसपी पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन किये गये अभिभावकों में से पोर्टल द्वारा कोई पांच माता-पिता/अभिभावक का नाम यादृच्छिक रूप से चयन किया जाएगा, जिसकी सूचना संबंधित अभिभावकों को एसएमएस/लॉगिन द्वारा प्राप्त हो सकेगी। विद्यालय द्वारा भी सदस्य अभिभावकों को लिखित सूचना प्रेषित की जायेगी।

05. एसएलएफसी के गठन की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी की लॉगिन पर प्रदर्शित होगी।

06. एसएलएफसी की बैठक के आयोजन से पन्द्रह दिवस पूर्व सभी सदस्यों को गैर सरकारी विद्यालय द्वारा प्रारूप-2 में सूचित किया जाये। (संलग्न प्रारूप-2)

07. विद्यालय प्रबन्धन प्रारूप-3 में एसएलएफसी को फीस प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। एसएलएफसी के सदस्यों द्वारा विद्यालय फीस निर्धारण हेतु बैठक का आयोजन कर फीस अनुमोदन किया जाये। इस प्रकार विद्यालय स्तर पर गठित विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी (एफएलएसी) द्वारा अनुमोदित फीस का ब्यौरा गैर सरकारी विद्यालय पीएसपी पोर्टल पर वर्षवार/मदवार/कक्षावार प्रविष्टि कर एवं पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करें।

08. विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस के अतिरिक्त फीस लेना अवैध है, जिसे फीस एक्ट के नियमानुसार संबंधित विद्यार्थी/अभिभावक/संरक्षक को लौटाना होगा।

09. विद्यालय द्वारा प्रविष्टि फीस का ब्यौरा पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध होगा।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उक्त कार्य की मोनेटरिंग कर कार्य पूर्ण करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

निदेशक

IAS

प्रारंभिक शिक्षा एवं

पंचायती राज (प्रा.शि) विभाग

राजस्थान बीकानेर